



# झारखण्ड गजट

## साधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 18 राँची, बुधवार 11 ज्येष्ठ, 1944 (श०)  
1 जून, 2022 (ई०)

#### विषय-सूची

| पृष्ठ                                                                                                                                                                                             | पृष्ठ                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>भाग 1</b> —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 134-142 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।                                                                                                           | <b>भाग-4</b> —झारखण्ड अधिनियम                                                                                                                                                                             |
| <b>भाग 1-क</b> —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।                                                                                                                                         | <b>भाग-5</b> —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । |
| <b>भाग 1-ख</b> —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस.सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि। | <b>भाग-7</b> —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।                                                                                                                          |
| <b>भाग 1-ग</b> —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।                                                                                                                                             | <b>भाग-8</b> — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।                                                         |
| <b>भाग-2</b> —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा                                                                                                                                           | <b>भाग-9</b> — विज्ञापन ---                                                                                                                                                                               |
| <b>भाग-2</b> —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।                                                                                         | <b>भाग-9-क</b> —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं                                                                                                                                                         |
| <b>भाग 3</b> —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।                                                                    | <b>भाग-9-ख</b> —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>पूरक--</b> ...                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>पूरक "अ"</b> ...                                                                                                                                                                                       |

**भाग 1****नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

-----

**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।**

-----

**अधिसूचना**

17 मई, 2022

**संख्या-1/विविध-832/2012 खण्ड कां-3099--विभागीय अधिसूचना सं०-2189, दिनांक-06.04.2022 एवं 2797, दिनांक-29.04.2022 से श्री ए० मुथुकुमार, भा.प्र.से. (झा:2009), निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड को दिनांक-21.03.2022 से 29.04.2022 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी गयी है के क्रम में श्री कुमार को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक-30.04.2022 से 06.05.2022 तक कुल 7 दिनों का अतिरिक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**विनोद कुमार,**

सरकार के अवर सचिव ।

-----

**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।**

-----

**अधिसूचना**

18 मई, 2022

**संख्या-1/विविध-818/05 (पार्ट) कां- 3107--श्री के०के० खण्डेलवाल, भा.प्र.से. (झा:1988), अपर मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 19.05.2022 को एक दिन के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**विनोद कुमार,**

सरकार के अवर सचिव ।

-----

## कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

-----

अधिसूचना

17 मई, 2022

**संख्या-1/विविध-818/05 खण्ड का०-3100--विभागीय अधिसूचना सं०-7899, दिनांक-12.11.2022** से श्री के० के० खण्डेलवाल, भा.प्र.से. (झा:1988), अपर मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड को दिनांक-16.11.2021 से 18.11.2021 तक एवं दिनांक-22.11.2021 से 25.11.2021 तक कुल 7 दिनों के स्वीकृत अर्धवैतनिक अवकाश को रद्द किया जाता है तथा इसके स्थान पर अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक-16.11.2021 से 25.11.2021 तक कुल 10 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**विनोद कुमार,**

सरकार के अवर सचिव ।

-----

## कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

-----

अधिसूचना

24 मई, 2022

**संख्या-1/विविध-849/2015 का० -3254--श्रीमती किरण कुमारी पासी, भा.प्र.से. (झा:2013), राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 23.05.2022 से 03.06.2022 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**विनोद कुमार,**

सरकार के अवर सचिव ।

-----

**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।**-----  
अधिसूचना

24 मई, 2022

**संख्या-4/नि०सं०-12-271/2014का.3232--**श्री यामुन रविदास, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-513/20), अंचल अधिकारी, दुमका को दिनांक 21.07.2020 से 15.10.2020 तक कुल- 87 दिनों के उपार्जित अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**ब्रह्मदेव मोदी,**  
सरकार के अवर सचिव ।

-----

## गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

-----  
अधिसूचना

28 मार्च, 2022

पत्रांक:- 13/सी.-102/2022- 1218--

प्रेषक,

सरिता दास,  
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.),  
झारखण्ड, राँची ।

**विषय:-** श्री अश्विनी कुमार सिन्हा, भा.पु.से.(2010) द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी दिनांक-17.06.2021 से 21.10.2021 तक की प्रभार रहित अवधि की सेवा विनियमित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री अश्विनी कुमार सिन्हा, भा.पु.से.(2010) द्वारा विभागीय अधिसूचना सं.-2159, दिनांक-15.06.2021 के आलोक में दिनांक-17.06.2021 के पूर्वाहन में पुलिस अधीक्षक, देवघर के पद का प्रभार त्याग कर दिनांक-19.06.2021 के पूर्वाहन में पुलिस मुख्यालय में योगदान दिया गया। पुनः विभागीय अधिसूचना सं.-3899, दिनांक-20.10.2021 के आलोक में श्री सिन्हा, भा.पु.से. द्वारा दिनांक-22.10.2021 के पूर्वाहन में समादेष्टा, झा.स.पु.-04, बोकारो का प्रभार ग्रहण किया गया। इस बीच श्री सिन्हा दिनांक-17.06.2021 से 21.10.2021 तक (127 दिन) बिना किसी पद के प्रभार में रहे जिसमें इनका कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है।

2. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा श्री अश्विनी कुमार सिन्हा, भा.पु.से.(2010) समादेष्टा, झा.स.पु.-04, बोकारो द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी दिनांक-17.06.2021 से 21.10.2021 (कुल-127 दिन) की प्रभार रहित अवधि को भारत सरकार के मौलिक नियम-9 (6) (a) (ii) तथा 9(6) (b) (i) तथा इसके सदृश राज्य सेवा संहिता के नियम-14(क) (2) तथा 14(ख) के तहत निम्न रूप से सेवा विनियमित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (i) दिनांक-17.06.2021 से 18.06.2021-पारगमन काल
- (ii) दिनांक-19.06.2021 से 21.10.2021-पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि ।

3. श्री सिन्हा, भा.पु.से.(2010) को उक्त अवधि के लिए कोटि वेतन देय होगा ।

विश्वासभाजन

**सरिता दास,**  
सरकार के उप सचिव ।

-----

## कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

-----  
अधिसूचना

25 मई, 2022

संख्या-03/नि०सं०-09-73/2014 का. 3255--श्री पवन कुमार मण्डल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-738ए/03), अपर समाहर्ता, चतरा के निम्नांकित अवधियों को उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(i) दिनांक 27.01.2009 से 27.02.2009 तक

(कुल 32 दिन)

(ii) दिनांक 21.06.2009 से 22.06.2009 तक

(कुल 02 दिन)

(iii) दिनांक 08.06.2011 से 03.07.2011 तक

(कुल 26 दिन)

उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत।

(v) दिनांक 29.07.2015 से 11.08.2015 तक

(कुल 14 दिन)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**ब्रह्मदेव मोदी,**  
सरकार के अवर सचिव ।

-----

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RAMISHA AMAN SARAFF अन्य नाम RAMISHA ZARIN पति AMAN SARAFF, शपथ पत्र सं० 8049, दिनांक 23 मई, 2022 के अनुसार RAMISHA AMAN SARAFF के नाम से जानी जाऊँगी।

RAMISHA AMAN SARAFF एवं RAMISHA ZARIN दोनों एक ही महिला का नाम है।

PERMANENT RESIDENT-- 3A JYOTI VIHAR APARTMENT,  
HARMU, ROAD,  
KISHOREGANJ OPPOSITE SUDHA DAIRY,  
P.O.-G.P.O.  
P.S.-KOTWALI,  
DIST.-RANCHI,  
PIN- 834001  
JHARKHAND.

-----

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SHIVANSH SINHA अन्य नाम SHIVANSH पिता SRI SANJAY KUMAR SINHA, शपथ पत्र सं० 0751, दिनांक 26 मई, 2022 के अनुसार SHIVANSH SINHA के नाम से से जाना जाऊँगा।

SHIVANSH SINHA एवं SHIVANSH दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

PRESENT RESIDENT-- FLAT. NO.- 201,  
KRISHNA SHREE APARTMENT,  
ANANTPUR, DORANDA,  
P.S.- CHUTIA,  
DIST.- RANCHI,  
JHARKHAND

-----

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SATYA LAKSHMI, पति SANJAY KUMAR, पुत्र PRANAV RAJ (अन्य नाम PRADUMAN PRANJAL) कि माता, शपथ पत्र सं० 24571, दिनांक 28 मई, 2022 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र PRANAV RAJ (जन्म तिथि - 23 फरवरी, 2006 ) के नाम से जाना जायेगा ।

PRANAV RAJ एवं PRADUMAN PRANJAL दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

PERMANENT RESIDENT-- VILL.- ARARUA KALAN,  
P.S. - HARIHARGANJ,  
DIST.- PALAMU,  
JHARKHAND

PRESENT RESIDENT-- CHARU CITY,  
FLAT NO-101,  
FIRST FLOOR,  
NEW AREA MORABADI,  
P.S.- BARIATU,  
DIST.- RANCHI,  
JHARKHAND.

-----